

Public Debt and its types

सार्वजनिक ऋण एवं उसके प्रकार

वर्तमान समय में लोककल्याणकारी कार्यों के विकास के कारण सरकारी व्ययों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसे पूरा करने के लिए सरकार को सैन्य आवस्था बनानी है। लेकिन उन व्ययों की पूर्ति जब सरकारी आय से नहीं हो पाती तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है जिसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं।

सार्वजनिक ऋण की विभिन्न किराओं में विभाजित है -

1. आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (Internal and external debt)

आन्तरिक ऋण तो ऋण होते हैं जो देश के भीतर के क्षेत्रों के नागरिकों, बैंकों तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त किये जाते हैं।

जबकि बाह्य ऋण विदेशी सरकारों, विदेशी नागरिकों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त किये जाते हैं।

2. उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण - (Productive and un-productive Debt)

उत्पादक ऋण उन ऋणों को कहते हैं - जिनका उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जिनसे आय प्राप्त होती है जैसे कि रेलवे, बिजली, सिंचाई की योजनाएँ।

अनुत्पादक ऋण उन ऋणों को कहते हैं जो ऐसी परियोजनाओं में लगाये जाते हैं - जिनसे आय प्राप्त नहीं होती जैसे भूखण्ड, बाढ़ वरानकारी यन्त्र, श्रृंगारक्या यन्त्र आदि।

3. आशौच्य तथा अशौच्य ऋण (Redeemable and Irredeemable Debt)

आशौच्य ऋण का अर्थ है कि सरकार यह वाच्य करती है कि वह इसे एक निर्धारित तिथि पर वापस करेगी। अशौच्य ऋणों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्पकालीन ऋण 3 से 9 माह की अवधि के बीच परिपक्व हो जाते हैं जैसे - राजकोष पत्र (Treasury bills) मध्यकालीन ऋण पांच वर्ष बाद परिपक्व होते हैं और दीर्घकालीन ऋण 10 से 15 वर्षों के बीच होती हैं। इस पर वापस कर चुकी होती है। अशौच्य ऋण वह होते हैं जिसे सरकार लेती है किन्तु वापस करने का कोई वादा नहीं करती है। अशौच्य ऋण सार्वजनिक ऋण पर सरकार विनिश्चित रूप से वापस करती है किन्तु मूलधन वापस नहीं करती इसलिए Irredeemable Public debt को Perpetual Public debt भी कहा जाता है।

4. निधिजन्य तथा अनिधिजन्य ऋण (Funded and unfunded Debt)

निधिजन्य ऋण दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इन ऋणों की आशुता या तो कम से कम एक वर्ष बाद की जा सकती है अथवा यह भी हो सकता है कि इस अवधि में बिल्कुल ही वापस न किया जाय। जबकि अनिधिजन्य ऋण वे ऋण

में है जिसका मुद्राण एक वर्ष के अन्दर कर दिया जाता है। राजकीय बॉन्ड (Treasury bonds) आठ महीने के लिए लिए जाते हैं।

5. ऐच्छिक और अधिवार्य ऋण (Voluntary and Compulsory Debt)

सरकारी ऋण राजधानी: ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं। कोई भी व्यक्ति सरकार के कर्ज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण कर सकता है।

जबकि अधिवार्य ऋण दबाव से वसूल किए जाते हैं। जब सरकार को ऋणों की आवश्यकता होती है और उसे आसानी से ऋण प्राप्त नहीं होता तो सरकार दबाव डालकर ऋण वसूल करने का प्रयत्न करती है। सरकार ऐसा ही करती है जब उसके सामने राष्ट्रीय संकट होता है। आमतौर पर अधिवार्य सार्वजनिक ऋण पर आज तुलनात्मक रूप में अधिक रकम है इसलिए ऐच्छिक सार्वजनिक ऋण कमलता सरल होता है।

6. धाज सहित और धाज रहित ऋण (With Interest and Without Interest debt)

धाज सहित ऋणों पर सरकार निश्चित अवधि के पश्चात्, ऋणदाताओं की निश्चित अवधि के पश्चात्, ऋणदाताओं की निश्चित दर से धाज देती है जबकि धाजरहित ऋणों पर सरकार को कोई ~~रकम~~

लाभ नहीं देना पड़ता। आज कोई भी सरकार बिना ऋण के ऋण नहीं लेती है। प्राचीन काल सरकारों के द्वारा विना लाभ का ऋण लिया जाता

7. क्रय योग्य व अक्रय योग्य ऋण (Purchasable and Non-Purchasable Debt)

क्रय योग्य ऋण व अक्रय योग्य ऋण पर सुले व व्याज में शरीर व लेने जाते हैं जैसे सरकारी प्रभुत्वों।

अक्रय योग्य ऋण व लेते हैं जिन्हें सुले व व्याज में शरीर में लेना नहीं जा सकता है। परन्तु पुनर्विचारित ऋण पर केवल सरकार के हाथ ही लेना जा सकता है जैसे - सरकारों का कर्ज ऋण पर।

8. कुल ऋण एवं शुद्ध ऋण (Total debt and Net debt)

किसी भी सत्र विरोध पर सरकार के ऋण कुल ऋण होते हैं उन सबके ऋण को कुल ऋण कहा जाता है।

कुल ऋण में से ऋण वीक्षण के लिए कोष में जमा की गयी राशि को घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध ऋण कहा जाता है।

9. अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण (Short term and Long term Debt)

जब सरकार अल्प काल के लिए ऋण लेती है तो उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। इन ऋणों को एक वर्ष की अवधि में वापस कर दिया जाता है।

जब सरकार की कार्य करने क्षमता के लिए
प्रयत्न लेती है उसे शीर्षकाधीन प्रयत्न कहते हैं।
इन्हीं लक्ष्यों का कोई सञ्चय निश्चय नहीं
होता है लेकिन जब तक प्रयत्न का पुनरावलोकन नहीं
किया जाता तब तक प्रयत्नात्मक की क्षमता गिरती
रहती है।

इस प्रकार J. K. Mehta का कहना
है कि "सार्वजनिक प्रयत्न एक इच्छा है
जिसे लक्ष्य है जो कि इतना व्यापक नहीं
होता है। इनके अन्तर्गत बाजार,
व्याज, प्रयत्न मुक्त के क्षेत्र, आदि के
अन्तर्गत कारण होता है।"

————— X —————

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College